Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

224-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022 (PAUSA 1, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 22nd December, 2022

No. 30-HLA of 2022/91/23835.— The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 30-HLA of 2022

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st October, 2022.

Amendment of section 5 of Haryana Act 6 of 1986.

2. For sub-section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the rules made under this Act, a fee shall be notified at a rate, as may be fixed by the State Government, from time to time on the sale proceeds of agricultural produce bought or sold or brought for processing in the notified market area on the dealer for the purposes of this Act:

Provided that except in case of agricultural produce brought for processing-

(a) no fee shall be leviable in respect of any transaction in which delivery of the agricultural produce bought or sold is not actually made; and

(b) the fee shall be leviable on the dealer only in respect of a transaction in which delivery is actually made.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to enable the State Government to levy HRD fee at a rate to be notified by State Government from time to time on sale proceeds of agricultural produce, bought or sold or brought for processing by any dealer in notified marked area for which the amendment in sections 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986 is required. This progressive change will help in immediate implementation of the orders of the Government in increasing or decreasing the Haryana Rural Development Fee.

Hence this Bill.

DEVENDER SINGH BABLI,
Development & Panchayats Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 22nd December, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 30–एच०एल०ए०

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022
हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986
को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अक्टूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यवसायी पर अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर फीस, ऐसी दर पर अधिसूचित की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत की जाए:

परन्तु प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के मामलों को छोड़कर,–

(क) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी ; और

(ख) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें सुपुर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस केवल व्यवहारी पर उद्ग्रहणीय होगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

अधिसूचित चिन्हित क्षेत्र में किसी भी डीलर द्वारा खरीदे या बेचे गए या प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद की बिक्री आय पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली दर पर राज्य सरकार को एचआरडी शुल्क लगाने में सक्षम बनाने के लिए जिसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 में संशोधन आवश्यक है। इस प्रगतिशील बदलाव से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क को बढ़ाने या घटाने के सरकार के आदेशों को तत्काल लागू करने में मदद मिलेगी।

इसलिए यह विधेयक है।

देवेंद्र सिंह बबली,
विकास एवं पंचायत मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

10071—H.V.S.—H.G.P., Pkl.